

# न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी- श्री प्रमोद कुमार,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :- 03/2023

प्रार्थीगण

बनाम

विप्रार्थीगण

जोगाराम पुत्र गिरधारीराम उम्र 54 वर्ष जाति गवारिया निवासी कुडी भगतासनी जोधपुर	अमरू पुत्री रावताराम उम्र 30 वर्ष कोंकू पत्नी रावताराम उम्र 60 वर्ष चेनाराम पुत्र पूनमाराम उम्र 50 वर्ष तेजाराम पुत्र रावताराम उम्र 35 वर्ष भैराराम पुत्र रावताराम उम्र 40 वर्ष जातियान मेघवाल निवासीगण ग्राम पीपराला पटवार हल्का कमठाई तहसील सिणधरी जिला बाडमेर तहसीलदार सिणधरी
--	--

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति-

1. श्री राजेश पटेल, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. प्रतिवादी सं. 1 से 5 एकतरफा।
3. प्रतिवादी सं. 06 के पैरोकार सरकार उप0।

निर्णय

दिनांक- 22.02.2024

संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं, कि प्रतिवादीगण के विरुद्ध एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 आर.टी. एक्ट के तहत माननीय न्यायालय में विचाराधीन चल रहा है। कि प्रार्थी व विप्रार्थीगणों का संयुक्त खातेदारी भूमि खेत खसरा नं. 73 रकबा 14. 9180 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम मौजा पिपराला पटवार क्षेत्र कमठाई तहसील सिणधरी में अवस्थित है। जिस पर प्रार्थी व विप्रार्थीगण सं. 1 से 5 का सामलाती कब्जाकाश्त है। कि उक्त भूमि वादी ने प्रतिवादी सं 1 से 5 के पूर्व सहखातेदार (मेगा, गेना, भगा, भंवरा, तेजा पि. पूनमाराम मु. माडू बेवा पूनमाराम, नगाराम, शंकराराम पि. किरताराम कौम मेघवाल निवासी टाकूबेरी तहसील सिणधरी जिला बाडमेर ) से जिनका हक हिस्सा उक्त खेत खसरा नं 73 रकबा 14. 9180 हैक्टेयर में 5/7 हिस्सा खातेदारी का था। वादी ने उनका सम्पूर्ण हक हिस्सा (अर्थात 5/7 हिस्से की भूमि) जरिये रजिस्ट्री से दिनांक 20.05.2014 को खरीद किया था। जिसका नामान्तरण वादी के पक्ष में नामान्तरण सं 48 दिनांक 20.11.2014 को दर्ज हो गया था। तथा राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम बतौर खातेदार दर्ज है तथा बाद खरीद उक्त 5/7 हिस्से की भूमि पर वादी काबिज काश्त है। कि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी का विधिक हिस्सा 5/7 है जो राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। प्रार्थी द्वारा अपने हिस्से की भूमि पर शान्ति पूर्ण काबिज होने के बावजूद भी विप्रार्थीगण सं. 1 से 5 आए दिन प्रार्थी के हिस्से की भूमि में उनके कब्जे काश्त में दखल अंदाजी करते रहते हैं। आए दिन विप्रार्थीगणों द्वारा दखल अंदाजी करने व झगड़ा फसाद करने के कारण प्रार्थी हमेशा तनाव में रहते हैं तथा वर्तमान में

विप्रार्थीगण प्रार्थी के हिस्से की भूमि पर जबरन कब्जा करने पर उतारू है। तथा इस हेतु दिनांक 26.12.2022 को विप्रार्थीगण सं. 1 से 5 ने प्रार्थी के हिस्से की भूमि पर बनी बाड को तोड़ने की कोशिश की यदि विप्रार्थीगण सं. 1 से 5 इस मकसद में कामयाब हो जाये तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगणों के पक्ष में है व सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित है। तथा विवादित आराजी प्रार्थी की खातेदारी भूमि है जिसका उपयोग व उपभोग करने का प्रार्थी को पूर्ण अधिकार है। विप्रार्थीगण सं. 1 से 5 को प्रार्थी की भूमि में कोई अधिकार नहीं है। यदि विप्रार्थीगण सं.1 से 5 प्रार्थी की खातेदारी की भूमि पर जबरन कब्जा कर देते है तो प्रार्थीगणों को अपूर्णनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति भविष्य में किया जाना सम्भव नहीं होगा। तथा जबरन निर्माण करने की स्थिति में मौके पर झगड़ा फसाद होने के कारण विवाद बढेगा। इस कारण मौका एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाना चाहते है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए विप्रार्थीगण सं. 1 से 5 को पाबन्द किया जावे की वह मौजा पिपराला पटवार क्षेत्र कमठाई तहसील सिणधरी के भूमि खेत खसरा नं. 73 रकबा 14.9180 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम में प्रार्थी के कब्जा काशत में किसी भी प्रकार की दखल अंदाजी नहीं करे तथा न ही किसी प्रकार का निर्माण करे तथा न ही किसी अजनबी व्यक्ति को बेचान आदि किसी प्रकार का हस्तान्तरण न ही स्वयं करे व न ही किसी अन्य से करवाये। इस हेतु मौका एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिये विप्रार्थीगण सं. 1 से 5 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किये जाने का आदेश फरमावे।

प्रार्थीगण का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थी सं. 12 तरफ से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। विप्रार्थी सं. 8 से 11 के अधिवक्ता द्वारा उपस्थित हुए, परन्तु उनकी ओर से जवाब पेश नहीं किया तथा शेष विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत उपस्थित नहीं होने से उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

हमने प्रार्थी की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया। कि प्रार्थी व विप्रार्थीगणों का संयुक्त खातेदारी भूमि खेत खसरा नं. 73 रकबा 14.9180 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम मौजा पिपराला पटवार क्षेत्र कमठाई तहसील सिणधरी में अवस्थित है। जिस पर प्रार्थी व विप्रार्थीगण सं. 1 से 5 का सामलाती कब्जाकाशत है। कि उक्त भूमि वादी ने प्रतिवादी सं 1 से 5 के पूर्व सहखातेदार (मेगा, गेना, भगा, भंवरा, तेजा पि. पूनमाराम मु. माडू बेवा पूनमाराम, नगाराम, शंकराराम पि. किरताराम कौम मेघवाल निवासी टाकूबेरी तहसील सिणधरी जिला बाडमेर ) से जिनका हक हिस्सा उक्त खेत खसरा नं 73 रकबा 14. 9180 हैक्टेयर में 5/7 हिस्सा खातेदारी का था। वादी ने उनका सम्पूर्ण हक हिस्सा (अर्थात 5/7 हिस्से की भूमि) जरिये रजिस्ट्री से दिनांक 20.05.2014 को खरीद किया था। जिसका नामान्तरण वादी के पक्ष में नामान्तरण सं 48 दिनांक 20.11.2014 को दर्ज हो गया था। तथा राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम बतौर खातेदार दर्ज है तथा बाद खरीद उक्त 5/7 हिस्से की भूमि पर वादी काबिज काशत है। कि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी का विधिक हिस्सा 5/7 है जो राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। प्रार्थी द्वारा अपने हिस्से की भूमि पर शान्ति पूर्ण काबिज होने के बावजूद भी विप्रार्थीगण सं. 1 से 5 आए दिन प्रार्थी के हिस्से की भूमि में उनके कब्जे काशत में दखल अंदाजी करते रहते है। आए दिन विप्रार्थीगणों द्वारा दखल अंदाजी करने व झगड़ा फसाद करने के कारण प्रार्थी हमेशा तनाव में रहते है तथा वर्तमान में विप्रार्थीगण प्रार्थी के हिस्से की भूमि पर जबरन कब्जा करने पर उतारू है। तथा इस हेतु दिनांक 26.12.2022 को विप्रार्थीगण सं. 1 से 5 ने प्रार्थी के हिस्से की भूमि पर बनी बाड को तोड़ने की कोशिश की यदि विप्रार्थीगण सं. 1 से 5 इस मकसद में कामयाब हो जाये तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। प्रथम दृष्टया मामला

प्रार्थीगणों के पक्ष में है व सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित है। तथा विवादित आराजी प्रार्थी की खातेदारी भूमि है जिसका उपयोग व उपभोग करने का प्रार्थी को पूर्ण अधिकार है। विप्रार्थीगण सं. 1 से 5 को प्रार्थी की भूमि में कोई अधिकार नहीं है। यदि विप्रार्थीगण सं.1 से 5 प्रार्थी की खातेदारी की भूमि पर जबरन कब्जा कर देते हैं तो प्रार्थीगणों को अपूर्णनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति भविष्य में किया जाना सम्भव नहीं होगा। तथा जबरन निर्माण करने की स्थिति में मौके पर झगड़ा फसाद होने के कारण विवाद बढ़ेगा। जहां तक सामलाती कब्जे काश्त के विभाजन की इस्तदुआ के संबंध में जब तक विधिवत बंटवाड़ा नहीं हो जाता है, तब तक प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक इंच की भूमि पर कब्जा माना जाता है। ऐसी स्थिति में विभाजन के बाद में विधिसम्त निस्तारण की कार्यवाही मूल वाद में जरिये साक्ष्य/सबूतों के आधार पर तय करते हुए निराकरण किया जा सकता है? ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया प्रकरण में अन्तरिम स्थगन आदेश जारी किया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है।

लिहाजा प्रार्थी का आवेदन खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर एवं नम्बर से कम हो।

  
(प्रमोद कुमार)

उपखण्ड अधिकारी एवं  
सहायक कलक्टर सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 22.02.2024 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
सहायक कलक्टर सिणधरी